R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 2
अगस्त 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 आवेदकों को दिया भुगतान बैंकों के लिए अनुमोदन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 को भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए ग्यारह आवेदकों को 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया। ये हैं :

i. आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड;
ii. एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड;
iii. चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड;
iv. डाक विभाग;
v. फिनो पे-टेक लिमिटेड;
vi. नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड;
vii. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड;
viii. श्री दिलिप शांतिलाल सांघवी;
ix. श्री विजय शेखर शर्मा;
x. टेक महिंद्रा लिमिटेड; तथा
xi. वोडाफोन एम-पैसा लिमिटेड।

यह ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन18 महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके दौरान आवेदकों को दिशानिर्देशों के अंतर्गत बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। रिज़र्व बैंक इस बात पर संतुष्ट होने के बाद कि आवेदकों ने ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के एक अंग के रूप में निर्धारित अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया है, कारोबार प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगा। जब तक नियमित लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, तब तक आवेदक कोई भी बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकते हैं।

भविष्य में रिज़र्व बैंक इस लाइसेंसिंग दौर से मिलने वाली सीख का उपयोग दिशानिर्देशों को समुचित रूप से संशोधित करने तथा वास्तव में नियमित रूप से ''ऑन टैप'' आधार पर लाइसेंस देते रहने में करना चाहता है। रिज़र्व बैंक को उम्मीद है कि जो संस्थाएं इस दौर में पात्र नहीं बन पाईं, वे आगामी दौरों में सफल सिद्ध होंगी।

चयन प्रक्रिया

रिज़र्व बैंक ने आवेदकों के चयन की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया :

- पहले, डॉ. नचिकेत मोर, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता वाली एक बाह्य परामर्शदात्री समिति (ईएसी) द्वारा विस्तृत रूप से छानबीन की गई।
- ईएसी की सिफारिशें गवर्नर और चार उप गवर्नरों की आंतरिक अनुवीक्षण समिति (आईएससी) के लिए निविष्टि सूचना (इनपुट) बनीं। इस आंतरिक अनुवीक्षण समिति ने स्वतंत्र रूप से सभी आवेदन-पत्रों की छानबीन करने के बाद केंद्रीय बोर्ड समिति के लिए सिफारिशों की अंतिम सूची तैयार की।
- केंद्रीय बोर्ड समिति ने 19 अगस्त 2015 को संपन्न अपनी बैठक में आवेदन-पत्रों, ईएसी और आईएससी की सिफारिशों पर विचार किया तथा आवेदकों की घोषित सूची का अनुमोदन किया।

अंतिम सूची को अंतिम रूप देते समय सीसीबी ने यह पाया कि भुगतान बैंक ऋण देने का कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए भुगतान बैंकों को उन सभी जोखिमों का सामना करना नहीं पड़ेगा जितना एक संपूर्ण सेवा बैंक को सामना करना पड़ता है। अत: सीसीबी ने आवेदकों का इस आशय से मूल्यांकन किया कि क्या भुगतान बैंक के सीमित कार्यकलापों के बावजूद उनमें कोई अस्वीकार्य जोखिम पैदा होगा। उसने यह भी पाया कि उभरते भुगतान कारोबार में कौन सा मॉडल सफल सिद्ध होगा, यह बताना मुश्किल है। उसने विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाली संस्थाओं का चयन किया है ताकि कई मॉडलों का परीक्षण किया जा सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि चयनित सभी आवेदक देश के कोने-कोने में अब तक वंचित ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की पहुंच तथा प्रौद्योगिकीय व वित्तीय शक्ति रखते हैं। तथापि, ये सैद्धांतिक अनुमोदन दिशानिर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन हैं, जिसके अंतर्गत चालू मामलों में हो रही गतिविधियां भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- 27 अगस्त 2013 : रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भारत में बैंकिंग संरचना पर एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया - आगामी मार्ग, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में विशेष प्रकार की बैंकिंग की आवश्यकता, तथा विभेदित लाइसेंसिंग की वांछनीयता, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, थोक बैंकिंग तथा रिटेल बैंकिंग।
- जनवरी 2014 : रिज़र्व बैंक ने छोटे कारोबारों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं पर गठित समिति (अध्यक्ष: डॉ. नचिकेत मोर) की रिपोर्ट जारी की, जिसने सर्वव्यापी भुगतान नेटवर्क और बचत की सार्वभौमिक पहुंच से जुड़े मुद्दों पर विचार किया तथा आबादी के अंतर्गत अब तक वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग की सिफारिश की।
- 17 जुलाई 2014 : भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप जनता की राय के लिए जारी किया गया।

  27 नवंबर 2014 : भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
- 01 जनवरी 2015 : रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों के बारे में उठाए गए प्रश्नों (संख्या- 144) का स्पष्टीकरण जारी किया था। रिज़र्व बैंक को भुगतान बैंकों के लिए 41 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। (https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=26557&Mode=0)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 आवेदकों को दिया भुगतान बैंकों के लिए अनुमोदन	1
• भारतीय रिज़र्व बैंक शनिवार को भी कार्य करेगा	2
• एजेंसी कमीशन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण	2
• साख सूचना के लिए डेटा फॉर्मेट	2
• शाखा प्राधिकरण नीति में छूट	2
तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16	2
वित्तीय समावेशन और विकास	
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का परिचालन	3
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का परिचालन	3
• लघुकालिक फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना	4
• गैर-कॉर्पोरेट किसानों के लिए सीधा उधार	4
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए एक्सपोजर मानदंड	4
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवरण के नए फार्मेट	4
सहकारी बैंकिंग	
• एटीएम के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना	4

भारतीय रिज़र्व बैंक शनिवार को भी कार्य करेगा

सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक - सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक - के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें कार्य-दिवस वाले शनिवार बताया गया है)। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर 2015 से अपने कार्य-संचालन में निम्नलिखित परिवर्तनों की घोषणा की है:

I. *वित्तीय बाज़ार खंड*

क) वित्तीय बाज़ार खंड, जो वर्तमान में शनिवार को लेनदेनों के लिए खुला रहते हैं, सभी कार्य-दिवस वाले शनिवार को खुले रहेंगे। अर्थात :

i. सभी मुद्रा बाज़ार खंड, नामतः मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा, बाज़ार रिपो और संपार्श्विकीकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) किसी मामूली कार्य-दिवस की भांति सभी कार्य-दिवस वाले शनिवार को खुला रहेंगे।

ii. सभी ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ारों सहित फोरेक्स बाज़ार और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार पूर्व की भांति सभी शनिवार को बंद रहेंगे।

ख) रिज़र्व बैंक किसी सामान्य कार्य-दिवस की भांति कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को शाम 07.00 बजे से 07.30 बजे तक नियत दर वाले प्रतिवर्ती रिपो के साथ-साथ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का परिचालन करना जारी रखेगा।

ग) रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को पूर्वाह्न 09.30 बजे से 10.30 बजे तक नियत दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो विंडो का परिचालन करना भी जारी रखेगा। वस्तुतः कार्य-दिवस वाले शनिवार को परिचालित किया जाने वाला एलएएफ विंडो शुक्रवार के एलएएफ विंडो का विस्तृत रूप होगा। अर्थात बैंक शुक्रवार को तीन दिवस के लिए निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उधार ले सकेंगे, तथा यदि कोई अवशिष्ट अप्रयुक्त सीमा हो तो उसका प्रयोग कार्य-दिवस वाले शनिवार को 2-दिवस की अवधि के लिए कर सकेंगे।

II. *भुगतान प्रणाली*

i. भुगतान प्रणाली का परिचालन दूसरे और चौथे शनिवार को नहीं किया जाएगा, किंतु कार्य-दिवस वाले शनिवार को पूरे दिन के लिए इसका परिचालन किया जाएगा। आम तौर पर भुगतान प्रणाली के अंतर्गत तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) सहित देश में स्थित विभिन्न बैंकर समाशोधन गृहों द्वारा परिचालित चेक समाशोधन तथा ईसीएस स्वीट [इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)] शामिल हैं।

ii. ऐसे भावी वैल्यू वाले दिनांकित लेनदेनों, जिनके वैल्यू की तारीख दूसरे और चौथे शनिवार को पड़ रही हो, का प्रसंस्करण कार्य आरटीजीएस और ईसीएस स्वीट के अंतर्गत नहीं किया जाएगा।

III. *बैंकिंग विभाग*

वित्तीय बाज़ारों और भुगतान प्रणाली के कार्य-संचालन को समर्थन प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित बैंकिंग विभाग कार्य-दिवस वाले शनिवार को पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे। सरकारी कारोबार कार्य-दिवस वाले शनिवार को एजेंसी बैंकों में किया जाएगा।

यह स्मरण होगा कि भारत सरकार ने प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए 20 अगस्त 2015 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित] को एक अधिसूचना जारी की थी। तदनुसार, सभी बैंकों, चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल हों या नहीं, के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश होगा। बैंकों, वित्तीय बाज़ारों और भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विनियामक होने के नाते रिज़र्व बैंक ने समर्थक कार्यों के संदर्भ में अपने कुछ परिचालनात्मक क्षेत्रों के कार्य-संचालन में बदलाव किया है।

छह माह के बाद उपर्युक्त व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।

(https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=26649&Mode=0)

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16

रिज़र्व बैंक ने 04 अगस्त 2015 को तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2015-16 घोषित की। वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर में कोई परिवर्तन न किया जाए जिसे 7.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए;
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए;
- नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रिपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा
- चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रिपो और प्रतिवर्ती रिपो को जारी रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रिपो दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.25 प्रतिशत रहेंगी। (https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=26419&Mode=0)

एजेंसी कमीशन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

एजेंसी बैंकों को रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित गतिविधियां एजेंसी बैंक व्यवसाय के दायरे में नहीं आती हैं और इसलिए वे एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं :

- सरकारी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत बैंक गारंटी/जमानत जमाराशियां आदि, जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किया गया बैंकिंग लेनदेन है;
- स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय का बैंकिंग व्यवसाय;
- स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों को हुई हानि के लिए सरकार द्वारा पूंजी अंशदान/आर्थिक सहायता/उपदान के रूप में पूंजी प्रकृति के भुगतान;
- पूर्वनिधियन वाली योजनाएं, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग (महा लेखानियंत्रक के परामर्श से) और राज्य सरकार के विभाग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना किसी बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- (https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Notifications.aspx?Id=5150&Mode=0)

साख सूचना के लिए डेटा फॉर्मेट

रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को साख सूचना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजन से एक समान साख रिपोर्टिंग फॉर्मेट में नया स्टेटस वैल्यू शामिल किया है, यथा- कंज्यूमर ब्यूरो में ''written off and settled status'' वाले फील्ड्स के लिए ''Restructured due to Natural Calamity'' के नाम से तथा कमर्शियल ब्यूरो में ''Major Reasons for Restructuring'' के नाम से नया स्टेटस वैल्यू। इस संशोधन का उद्देश्य किसी घोषित प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित कृषि ऋणों के बारे में साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने में बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ वित्तीय संस्थाओं (एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को सक्षम बनाना है। ऐसी रिपोर्टिंग से बैंकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि किसानों द्वारा पहले लिए गए कोई ऋण प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित किए गए थे या नहीं। (https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Notifications.aspx?Id=5121&Mode=0)

शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

रिज़र्व बैंक ने मौजूदा अनुदेशों को समाप्त कर घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को शाखाओं का विलय करने, बंद करने, शाखाओं का स्थान परिवर्तन करने, आंशिक रूप से स्थान परिवर्तन करने, विस्तार काउंटर खोलने तथा नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी है:

शाखाओं का विलय करना/उन्हें बंद करना/उनका स्थान परिवर्तन करना:

i) बैंक अपने विवेक से ग्रामीण शाखाओं और मुख्य अर्ध-शहरी शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं का स्थान परिवर्तन, विलय या उन्हें बंद कर सकते हैं।

ii) किसी ग्रामीण शाखा और मुख्य अर्ध शहरी शाखा के स्थान परिवर्तन, उसके विलय या उसे बंद करने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य ग्रामीण या अर्ध शहरी शाखाओं के स्थान परिवर्तन / उनका विलय करने / उन्हें बंद करने के समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि उस केंद्र की बैंकिंग आवश्यकताएं सेटेलाइट कार्यालयों / मोबाइल वैन अथवा कारोबारी प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी होती रहें।

iii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि जिस शाखा का स्थान परिवर्तन किया जा रहा है / विलय किया जा रहा है / को बंद किया जा रहा है, उस शाखा के ग्राहकों को शाखा का वास्तव में स्थान परिवर्तन करने / विलय करने / बंद करने से काफी समय पहले सूचित किया जाए जिससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त शाखाओं के स्थान परिवर्तन / विलय या उन्हें बंद करने पर विचार करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये शाखाएं सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के अंतर्गत इन्हें सौंपी गई भूमिका को पूरा करती रहेंगी।

iv) बैंक यह सुनिश्चित करें कि शाखाओं का स्थान परिवर्तन उसी अथवा कम आबादी श्रेणी में किया जाए अर्थात् अर्ध शहरी शाखाओं का स्थान परिवर्तन अर्ध शहरी या ग्रामीण केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं का अन्य ग्रामीण केंद्रों में किया जाए।

v) महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं को छोड़कर विलय की जाने वाली / बंद की जाने वाली / स्थान परिवर्तन की जाने वाली शाखाओं का लाइसेंस, यदि कोई जारी किया गया हो, तो बैंक उसे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दें। मुंबई और गोवा की शाखाओं के मामले में यह लाइसेंस बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर), केंद्रीय कार्यालय, मंबई को सौंपा जाना चाहिए।

इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिए बिना बैंक अपनी महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाओं को राज्य से बाहर और अपनी ग्रामीण शाखाओं को ब्लॉक से बाहर स्थानांतरित कर सकते हैं।

शाखाओं का आंशिक स्थान परिवर्तन:

बैंक किसी भी केंद्र में अपनी शाखाओं के कुछ कार्यकलापों का स्थान परिवर्तन/आंशिक रूप से स्थान परिवर्तन रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिए बिना कर सकती हैं। तथापि, बैंकिंग कार्यकलाप अर्थात् जमाराशि और ऋण कारोबार दोनों स्थानों पर नहीं किया जा सकता है और आंशिक स्थान परिवर्तन का नया स्थल वर्तमान स्थल से 1 कि.मी. की दूरी के अंदर ही होगा। वे अपने विवेक पर कुछ कार्यकालापों जैसे सरकारी कारोबार को अलग-अलग शाखाओं में भी कर सकते हैं।

विस्तार काउंटर खोलना :

संस्थाओं के परिसरों में बैंक विस्तार काउंटर खोल सकते हैं चाहे वे संस्था के प्रधान बैंकर न हों।

रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का औचित्य :

स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) सहित बैंकों को अब मोबाइल शाखा/मोबाइल एटीएम/कॉल सेंटर सहित कारोबार के नए स्थल खोलने, कॉल सेंटरों सहित कारोबार के मौजूदा स्थल को बंद करने, उसका विलय, स्थान परिवर्तन करने या उसमें परिवर्तन करने के ब्यौरों की जानकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देना अपेक्षित नहीं है। तथापि, वे प्रत्येक तिमाही के 14 दिन के अंदर कोई शाखा खोलने, बंद करने, उसका स्थान परिवर्तन करने और उसका रूपांतरण करने से संबंधित जानकारी प्रोफार्मा I और II में भरकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग (डीएसआईएम), मुंबई को प्रस्तुत करना जारी रखना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान वास्तव में खोली गई शाखाओं की वार्षिक रिपोर्ट अब संशोधित फार्मेट में प्रस्तुत की जा सकती है। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9974&Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का परिचालन

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना के परिचालन के बारे में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समेकित अनुदेश जारी किए। यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की जगह शुरूकी गई है । इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

बैंकों की भूमिका:

बैंकों की भूमिका सभी महिला स्वसहायता समूहों, विकलांग सदस्यों के स्वसहायता समूहों और स्वसहायता समूहों के परिसंघों के खाते खोलने के साथ शुरू होगी। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट 'अपने ग्राहक को जानें' मानदंड ग्राहकों की पहचान के लिए लागू हैं।

उधार देने के संबंध में मानदंड :

उधार देने के संबंध में एनआरएलएम योजना पर रिज़र्व बैंक के अनुदेश मुख्य रूप से (i) पात्रता मानदंडों, (ii) ऋण की राशि, (iii) सुविधा और चुकौती के प्रकार, (iv) चुकौती समय-सारणी, (v) जमानत और मार्जिन तथा (vi) चूक से संबंधित हैं:

ऋण लक्ष्य की आयोजना :

नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभाव्य लिंक्ड योजना/स्टेट फोकस पेपर के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की उप समिति जिला-वार, ब्लॉक-वार और शाखा-वार ऋण योजना तय कर सकती है। उप समिति को मौजूदा स्वसहायता समूहों, प्रस्तावित नए स्वसहायता समूहों और नए तथा पुनरावर्ती ऋणों के पात्र स्वसहायता समूहों पर विचार करना है जैसाकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसएलआरएम) द्वारा सुझाव दिया गया है जिससे कि राज्यों के ऋण लक्ष्यों को तय किया जा सके। इस प्रकार निर्णित लक्ष्यों को एसएलबीसी में अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जानी चाहिए।

जिला-वार ऋण योजनाओं की सूचना जिला समन्वय समिति (डीसीसी) को दी जानी चाहिए। ब्लॉक-वार/क्लस्टर-वार लक्ष्यों की सूचना नियंत्रकों के माध्यम से बैंक शाखाओं को दी जानी है। बैंक एनआरएलएम पर हुई प्रगति की राज्य-वार समेकित रिपोर्ट रिज़र्व बैंक/नाबार्ड को मासिक अंतराल पर दे सकते हैं। नाबार्ड स्वसहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक लिंकेज, सीबीएस प्लेटफार्म से एनआरएलएम में उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों पर नियमित आधार पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एलबीआर विवरणियां प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9968&Mode=0)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का परिचालन

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना के परिचालन के बारे में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समेकित अनुदेश भी जारी किए हैं। यह योजना पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की जगह शुरू की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

स्वरोजगार कार्यक्रम:

लाभार्थी का चयन : शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के कम्यूनिटी आयोजक (सीओ) और व्यावसायिक शहरी गरीबों के बीच संभावित लाभार्थियों की पहचान करेंगे। एनयूएलएम के सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास (एसएम एंड आईडी) घटक के अंतर्गत बनाई गई समुदाय संरचनाओं जैसे स्वसहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) यूएलबी के स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु भावी व्यक्तियों और समूह उद्यमियों को भी जानकारी दे सकते हैं। लाभार्थी सहायता के लिए सीधे यूएलबी या इसके प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। बैंक भी अपनी तरफ से भावी लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं और ऐसे मामलों को सीधे यूएलबी को भेज सकते हैं।

शैक्षिक अर्हता तथा प्रशिक्षण आवश्यकता:

इस घटक के अंतर्गत भावी लाभार्थियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है। भावी लाभार्थी द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म उद्यम चलाने के लिए अपेक्षित कौशल हासिल करने के बाद ही वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त यूएलबी व्यक्तियों और समूह उद्यमियों के लिए 3-7 दिन का उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगा जिसमें उद्यम का प्रबंधन, मूलभूत लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, पिछले और आगामी संपर्क, विधिक प्रक्रिया, लागत तथा स्थान जैसे उद्यम विकास के मूलभूत तत्वों को कवर किया जाएगा। इस मॉड्यूल में समूह उद्यियों के लिए समूह गतिकी, कार्य का आवंटन, लाभ साझा व्यवस्था आदि भी शामिल की जानी चाहिए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), उद्यम विकास/प्रशिक्षण में लगे प्रतिष्ठित संस्थानों, प्रबंधन/शैक्षिक संस्थानों, उद्यम विकास/प्रशिक्षण में लगे प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा इस ईडीपी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती

वित्तीय सहायता की पद्धति:

व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों के पास उपलब्ध वित्तीय सहायता 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में होगी। एनएलयूएम के अंतर्गत बैंकों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत और व्याप्त ब्याज दर के बीच अंतर उपलब्ध कराया जाएगा।

आर्थिक सहायता की पात्रता:

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक जो कोर बैंकिंग सल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफार्म पर कार्य करते हैं, वे इस योजना के तहत ब्याज सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। लाभार्थियों को ऋण का संवितरण करने के बाद बैंक की संबंधित शाखा ब्याज सहायता की राशि के साथ यूएलबी को संवितरित ऋण

के मामलों के ब्यौरे भेजेगी। बैंकों के दावों का निपटान यूएलबी द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा। यूएलबी अपने स्तर पर आंकड़ों की जांच करेगा और बैंको को ब्याज सहायता की राशि (प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत और व्याप्त ब्याज दर के बीच अंतर) जारी करेगा।

व्यक्तिगत उद्यम (एसईपी-I)- ऋण और सब्सिडी

स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने के इच्छुक शहरी गरीब किसी भी बैंक से इस घटक के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त ऋण का लाभ उठा सकता है। ऋण के लिए आवेदन करते समय भावी लाभार्थी की आयु 18 वर्ष हो। व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यम के लिए अधिकतम यूनिट परियोजना लागत ₹2,00,000 (दो लाख रुपए) है। किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। बैंकों को अधिदेशित किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान किए गए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्शिक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करें। इसलिए सृजित की गई आस्तियों को ऋण देने के लिए दृष्टिबंधक/बंधक/गिरवी रखा जाएगा। गारंटी कवर के लिए इस कार्यकलाप की पात्रता के अनुसार एसईपी ऋण के लिए गारंटी कवर का लाभ उठाने के प्रयोजन से बैंक लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारत सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) से संपर्क कर सकते हैं। बैंकों के मानदंडों के अनुसार 6-18 माह के चुकौती पर प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद चुकौती अवधि 5 से 7 वर्ष की होगी।

समूह उद्यम (एसईपी-जी) - ऋण और सब्सिडी

एनयूएलएम के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह या स्वसहायता समूह का सदस्य या स्वरोजगार के लिए समूह उद्यम स्थापित करने के इच्छुक शहरी गरीबों का समूह इस घटक के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। समूह उद्यम में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए जिसमें से 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवारों से हों। लाभार्थियों/समूह सदस्यों द्वारा स्थापित समूह उद्यम का अनुप्रयोग/विचार अधिमानतः एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी/एएलएफ जैसी समुदाय संरचनाओं द्वारा सुझाया गया हो। समूह उद्यम के सभी सदस्यों ने बैंक ऋण के लिए आवेदन करने के समय पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। समूह उद्यम के लिए अधिकतम यूनिट परियोजना लागत ₹10,00,000 (दस लाख रुपए) है। लाभार्थी के योगदान को घटाकर परियोजना लागत (बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) बैंक द्वारा समूह उद्यम को ऋण की राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संपार्शिक/गारंटी की आवश्यकता नहीं है। केवल सृजित की गई आस्तियों को ऋण के लिए बैंक के पास दृष्टिबंधक/बंधक/गिरवी रखा जाए। बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) से संपर्क कर सकते हैं। बैंकों के निर्णयानुसार 6-18 माह के चुकौती पर प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद चुकौती अवधि 5 से 7 वर्ष की होगी।

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यदलः

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एक कार्यदल का गठन किया जाए जो यूएलबी द्वारा बैंकों को आगे के अंतरण के लिए व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की शिफारिश करेगा। यूएलबी के आकार/आबादी के आधार पर यूएलबी स्तर पर एक से अधिक कार्यदल भी हो सकते हैं। कार्यदल की सांकेतिक संरचना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) यूएलबी/नगरपालिका आयोग, यूएलबी/या सीईओ यूएलबी (अध्यक्ष) द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि, नगर परियोजना अधिकारी (सीपीओ), यूएलबी का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (सदस्य आयोजक), अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) का प्रतिनिधि, बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (अधिकतम 2), क्षेत्रीय स्तरीय परिसंघ(2)/नगर स्तरीय परिसंघ के प्रतिनिधि (सदस्य) शामिल होंगे। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9967&Mode=0)

लघुकालिक फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना

रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए कुछ शर्तों के साथ ₹ 3 लाख तक के लघुकालिक फसल ऋणों हेतु ब्याज सब्सिडी योजना के कार्यान्वियन का अनुमोदन दिया है।(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9984&Mode=0)

गैर-कॉपोरेट किसानों के लिए प्रत्यक्ष उधार

रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) निदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गैर-कॉपोरेट किसानों के लिए उनका कुल प्रत्यक्ष उधार पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के प्रणालीगत औसत से कम नहीं हो, ऐसा न करने से कमी होने पर उन पर साधारण दंड लगाए जाएंगे। वे उन लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष उधार के 13.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के लिए अपने सभी प्रयास भी जारी रखें जिन लाभार्थियों ने पूर्व में प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र का निर्माण किया था। (https://rbi.org.in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=9948&Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए एक्सपोजर मानदंड

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) द्वारा कॉर्पोरेट बांडों में अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एकल उधारकर्ता/काउंटरपार्टी के संबंध में एक्सपोजर की उच्चतम सीमा को नवीनतम लेखापरीक्षित निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है और समूह उधारकर्ता के मामले में इसे एएए रेटिंग वाले कार्पोरेट बांडों में निवेश करने हेतु नवीनतम लेखापरीक्षित निवल स्वाधिकृत निधियों के 40 प्रतिशत से 65 प्रतिशत कर दिया है। एकल उधारकर्ता/ काउंटरपार्टी तथा समूह उधारकर्ता के लिए क्रमशः 25 और 40 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा के मौजूदा मानदंड कॉर्पोरेट बांडों में अन्य निवेशों के मामलों में लागू रहेंगे। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9976&Mode=0)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवरण के नए फार्मेट

रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संबंधित श्रेणी के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडों को प्राप्त करने के लिए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी को छोड़कर) के लिए विवरण के लिए दो नए फार्मेट निर्धारित किए हैं:

(i) ₹100-500 करोड़ के आस्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए एनबीएस 8 और

(ii) ₹100 करोड़ रपए से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए एनबीएस 9

ये विवरण फार्मेट https://cosmos.rbi.org.in पर 'कोरा फार्म डाउनलोड' मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध हैं। विवरण फार्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइटwww.rbi.org.in >कार्यवार साइटें >विनियमन >गैर-बैंकिंग >फार्म पर भी उपलब्ध हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऑनलाइन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु संबंधित गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

वार्षिक विवरणी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के अंदर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। चूंकि इनमें से अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पहली बार ऐसी विवरणी फाइल करेंगी, इसलिए 31 मार्च 2015 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी 30 सितंबर 2015 तक फाइल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ₹50-500 करोड़ की आस्ति वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग कंपनियां जिन्होंने 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए निर्धारित विवरणियां पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं, उनसे मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं हैं। जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एनडीएसआई (₹500 करोड़ और इससे अधिक आस्ति वाली) के लिए निर्धारित विवरणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=9931&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग

एटीएम के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अनुमति दी है कि वे मानकीकृत एटीएम मशीन के माध्यम से बिल भुगतान, ऑन-साइट / ऑफ-साइट / मोबाइल एटीएमओं पर खाता अंतरण की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संस्थापित एटीएमओं पर अनुमोदित सेवाएं / सुविधाएं इस प्रकार हैं:

- पैसा जमा करना/पैसा निकालना;
- वैयक्तिक पहचान नंबर (पीआईएन) में परिवर्तन करना;
- चेक बुक, खातों के विवरण का अनुरोध करना;
- शेष राशि की जानकारी;
- बैंक के अंदर एक ही ग्राहक के खाते या बैंक के विभिन्न ग्राहकों के खातों के बीच उसी केंद्र में या देश के अंतर विभिन्न केंद्रों में अंतर खाता अंतरण;
- अंतर बैंक निधि अंतरण - बैंक के ग्राहकों और अन्य बैंकों के ग्राहकों के बीच निधियों का अंतरण;
- बैंक को लिखित संप्रेषण करने हेतु मेल सुविधा;
- बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल आदि उपयोगिता भुगतान;
- रेल टिकट जारी करना और
- उत्पाद की जानकारी

तथापि शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बचाव कार्य कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं के उत्पादों को एटीएमओं के माध्यम से बेचने की अनुमति नहीं होगी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=9963&Mode=0)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**